

तारीख हुक्म

5-1-23

प्रावली पेश हुई। वकलाय फोरम  
उप./अनुपस्थितता के कारण कार्यवाही  
तुरे/अन्य कार्य से व्यस्त/सोडियम में  
है। पत्रावली कार्यवाही हेतु  
दिनांक 9-1-23 को पेश हो।

*Signature*

12-01-23

वकालत तारीख पेशी/दीखी पर  
प्रावली पेश हुई। वकलाय फोरम  
उप./अनुपस्थितता के कारण कार्यवाही  
तुरे/अन्य कार्य से व्यस्त/सोडियम में  
है। पत्रावली कार्यवाही हेतु  
दिनांक 19-01-23 को पेश हो।

19-1-23

श्री अग्र्यायाम  
श्री अग्र्यायाम  
हेतु P.D. जारी  
करने के लिए  
निवेदन है।

श्री अग्र्यायाम  
वकालत उपस्थित  
दिनांक

राज्य रिजिस्ट्रि  
के मकान  
P.D. जारी  
करने के लिए  
निवेदन है।  
प्रतिवादी 9-3

30-01-2023

वकालत पेशी/दीखी  
हेतु P.D. जारी  
करने के लिए  
निवेदन है।

प्रावली पेश हुई। वकलाय फोरम  
उप./अनुपस्थितता के कारण कार्यवाही  
तुरे/अन्य कार्य से व्यस्त/सोडियम में  
है। पत्रावली कार्यवाही हेतु  
दिनांक 23-1-23 को पेश हो।

*Signature*

23-1-23

प्रावली पेश हुई। वकलाय फोरम  
उप./अनुपस्थितता के कारण कार्यवाही  
तुरे/अन्य कार्य से व्यस्त/सोडियम में  
है। पत्रावली कार्यवाही हेतु  
दिनांक 30-1-23 को पेश हो।

*Signature*

पत्रावली पेश हुई। वकलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित।  
प्रकरण में वकील वादीगण ने वादपत्र के तकास्मा से सम्बन्धित होने  
से प्रकरण में विधिक विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधो  
से विधिक विभाजन प्रस्ताव मँगवाये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी  
किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर उपस्थित वकील  
प्रतिवादी संख्या 3 श्री गिरधारी लाल सैनी एड0 एवं प्रतिवादी संख्या

9  
से  
वा  
रि  
प  
प्र  
f

9 व 19 के अधिवक्ता श्री गिरीराज शर्मा एडो ने वाद पत्र के विभाजन से सम्बन्धित होने से पक्षकारान् के हक हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विधिक विभाजन किये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु अपनी-अपनी सहमति व्यक्त करते हुए पत्रावली की आदेशिका पर अपने-अपने हस्ताक्षर अंकित किये। प्रकरण में वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण ने वाद पत्र के विभाजन से सम्बन्धित होने से वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी कर वादीगण व प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड अलग बनाया जाकर अलग से लगान कायम करते हुए अलग-अलग सीवं कायम कर नक्शे में तरमीम करवाये जाने हेतु विधिक विभाजन प्रस्ताव मँगवाये जाने बाबत सहमति व्यक्त कर दिये जाने सं प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहुपक्षीय बहस के आधार पर प्रकरण के तकास्मा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में पक्षकारान् वादीगण व प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से व मौके के कब्जे काश्त अनुसार दर्ज कृषि भूमियों का रास्ते की सुविधा सहित व हिस्से अनुसार बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स उनके मध्य विधिक तकास्मा किया जाकर अलग-अलग खातेदार काश्तकार दर्ज करते हुए प्रकरण में विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मँगवाये जावे। प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री का निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी हो। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि वे प्रारम्भिक डिक्री के निर्णयानुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम- 18 से 21 की नियमानुसार पालना करते हुए एवं माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा पारित निर्णय 2017 आर. आर. टी. पेज 689 में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार उभय पक्षों को सूचना देकर विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार से तैयार करवाकर एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम / न्याया / स्था / प - 51 / 2008 / वि.वि. 10346 दिनांक 5.10.2020 में वर्णित


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

मुद्रांकन बनाम सहायक

५

हुक्म या कार्यवाही मय तलबाना मय लघुहस्ताक्षर जज

दिशा निर्देशानुसार तैयार किये जाकर कुरेजात रिपोर्ट मँगवाये जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। वस्तु प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त होने विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से एंव पेश होने सम्मन तलबाना मय रजिस्टर्ड डाक लिफाफे पत्रावली दिनांक 20.02.2023 को पेश हो।

  
20/2/23

(दिलीप सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)  
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर